XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 361–दो/14

जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.10.2015	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक निग0 1489–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 02–12–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

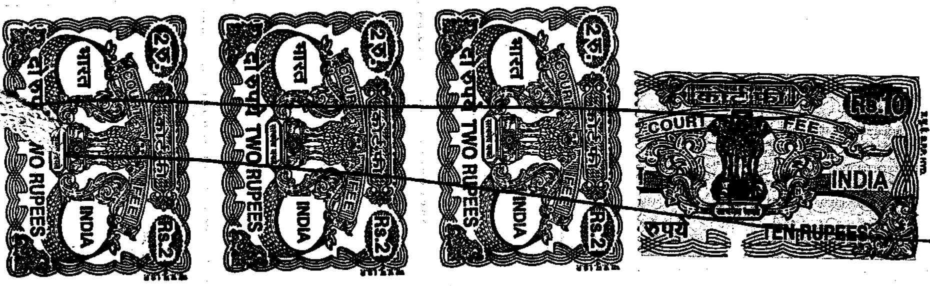

रिव्यू. 361-III/14

दिनांक 31-1-14 को श्री ... चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत।

31-1-14
A-S
12.20 P.m

31/1/14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर

1. धूराम पुत्र श्री तेजई यादव,
2. कल्याणसिंह पुत्र स्व. श्री जंगीसिह यादव,
3. रामेश्वर सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीसिह यादव, समस्त निवासीगण ग्राम दौनी, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती नोनी दुलैया वैवा स्व. श्री बैजनाथ यादव, निवासी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं गणेश मंदिर के पास, यादव भवन, नौगांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. धर्मजीतसिंह पुत्र स्व. श्री जंगीसिंह यादव, निवासी ग्राम दौनी, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, हाल निवासी जेल नौगांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1489/II/2013 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 02.12.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नविलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुर्नविलोकन निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 10 वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 11.12. 2007 के विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 230/अ–6/2011–12 प्रस्तुत की गयी थी। उक्त नामान्तरण आदेश फर्जी दस्तावेज पर आधारित होने की रिपोर्ट पुलिस थाना नौगांव में की गयी थी तथा अनावेदकगण द्वारा उक्त दस्तावेज, शपथपत्र एवं नामानतरण पंजी पर लगे अंगुस्ठ चिन्ह की जॉच हैण्ड राईटिंग एण्ड फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट से कराने हेतु आवेदन दिया था। इसी बीच पुलिस थाना नौगांव से मिलकर अनावेदकगण ने निगरानीकर्ता को